संख्या: 18/2020/115 ई-2/तेरह-2020-21/2010

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2020

विषय:-मेसर्स दौराला आसवनी, दौराला, मेरठ की क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर अर्थात वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस के आधार पर 450 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 525 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा 40 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का एथनाल प्लान्ट स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-98/दो-प्रा.डी.-17/दौराला, दिनांक 16 जनवरी, 2020 एवं पत्र संख्या-जी-78/दो-प्रा.डी.-17, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त दिनांकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स दौराला आसवनी, दौराला, मेरठ की क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर अर्थात वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस के आधार पर 450 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 525 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा 40 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी औद्योगिक क्षमता के अन्तर्गत ही अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय करेगी एवं आसवक द्वारा क्षमता वृद्धि के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथावश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।